

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-75/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2023

डॉ० अंजुला, चिकित्सा पदाधिकारी, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गयाजी, द्वारा दिनांक-06.03.2023 से 02.09.2023 तक प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-06.03.2023 से 01.09.2023 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-02.09.2023 को - कुल-01 (एक) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-75/2023- 53(2) पटना, दिनांक 12/01/2023

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी/अधीक्षक, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गयाजी /कोषागार पदाधिकारी, गयाजी /डॉ० अंजुला, चिकित्सा पदाधिकारी, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. Singh
सरकार के उप सचिव।
2